केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18–संस्थागत क्षेत्र,
18, INSTITUTIONAL AREA
शहीदजीत सिंह मार्ग,
SHAHEED JEET SINGH MARG
नई दिल्ली–110 016
NEW DELHI-110016
फैक्सFAX: 26514179 फोनPHONE: 26858570
Website : www.kvsangathan.nic.in

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा. 11073-6/2017/KVS/Admn.I 1034

दिनांक:- 16.03.2020

आदेश

अधिशासी मण्डल केन्द्रीय विद्यालय संगठन की दिनांक 27.01.2020 को आयोजित 117वीं बैठक में शिक्षा सत्र 2020-21 से आईआईटी पटना, बिहटा (बिहार) के परिसर में उच्च शिक्षण संस्थान क्षेत्र (IH L Sector) के अधीन एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने की संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में इस नए केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा 01 से 05 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सैक्शन) खोलने और भविष्य में साध्यता के आधार पर विद्यालय में अन्य कक्षाओं/सेक्शनों में वृद्धि की जा सकेगी। प्रायोजक प्राधिकरण अर्थात आईआईटी पटना, बिहटा (बिहार) निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होंगे:-

1. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के विनिर्देशानुसार स्थायी विद्यालय भवन।
2. केन्द्रीय विद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए 100% स्टाफ क्वार्टरों की व्यवस्था।
3. सभी अनुपातिक ऊपरी खर्च एवं भावी विकास के खर्च सहित समस्त आवर्ती और अनावर्ती खर्च।

भविष्य में प्रायोजक प्राधिकरण आवर्ती और अनावर्ती खर्च संबंधी बजट राशि को उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, पटना क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रिम किस्त के रूप में जमा करवाएंगे। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पहली किस्त अप्रैल महीने में दूसरी किस्त अक्तूबर महीने में जमा की जाएगी।

प्रायोजक प्राधिकरण यदि अपने वायदे को पूरा करने में असफल रहते हैं तो केन्द्रीय विद्यालय की कक्षाओं/सेक्शनों की संख्या को कम करने के लिए आयुक्त, केविसं प्राधिकृत होंगे तथा वे प्रायोजक को विधिवत नोटिस देकर केन्द्रीय विद्यालय को बंद करने का निदेश भी दे सकते हैं।

इस केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय के संबंध में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं और नियमों के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु निर्धारित प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कर ली जाए।

16/03/2020
(डॉ. शचीकांत)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण: -.

1. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
2. उपाध्यक्ष, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
3. उप सचिव (यू.टी.), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के कार्यकारी सहायक/निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (शैक्षिक)/(प्रशा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के निजी सचिव।
6. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)/(प्रशा.), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
8. संयुक्त आयुक्त (वित्त), केंद्रीय विद्यालय संगठन को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
9. रजिस्ट्रार, आईआईटी पटना, बिहटा (बिहार)।
10. उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।
11. उपायुक्त, ई.डी.पी. प्रकोष्ठ, केंद्रीय विद्यालय संगठन को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सचिव, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, प्रीत विहार, दिल्ली।
13. निदेशक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, सभी जीट ग्वालियर, मुंबई/मैसूर/चंडीगढ़/भुवनेश्वर।
14. सभी अधिकारी/अनुभाग, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली।